राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 67/2014/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, पतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स लियो फार्मा,
न्यू सांगानेर रोड, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
रमेश गुप्ता,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 184/अपील्स–I/आरवीएटी/एल/जयपुर/12–13 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,90,900/– अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.05.2012 को वाहन संख्या आरजे–07–जीए–9491 को रोककर चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन में लदे माल दवाईयॉ, आई.वी.फ्लूड के समर्थन में बिल–बिल्टी पेश किये, जिनके अनुसार माल इन्दौर से जयपुर के लिए परिवहनित किया जा रहा था, एवं वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान के अनुसार माल इन्दौर से श्रीगंगानगर के लिए परिवहनित किया जा रहा था। परिवहनित माल के साथ बिल–बिल्टी के अलावा कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं पाये गये। प्रस्तुत दस्तावेज एवं वाहन चालक/माल प्रभारी के विरोधाभासी बयान को करापवंचन की नियत से माल का परिवहन मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिये गये बयान से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने कर राशि रूपये 27,300/– एवं शास्ति राशि रूपये 1,63,600/– कुल मांग राशि रूपये 1,90,900/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल राज्य बाहर (इन्दौर) से श्रीगंगानगर भिजवाया जा रहा था, दस्तावेजों के अनुसार माल राज्य बाहर (इन्दौर) से जयपुर के लिए था। इस प्रकार माल राज्य में फर्जी बिल–बिल्टी के आधार पर आयात कर करापवंचन किया जा रहा था। इस बाबत् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लिखित में स्वीकारोक्ति दी है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन में कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त परिवहनित माल मैसर्स लियो फार्मा, इन्दौर से मैसर्स लियो फार्मा, जयपुर के लिए ही था, एवं मैसर्स लियो फार्मा, जयपुर ने उक्त माल को सीधे सिन्धु मेडिकल एजेन्सीज, श्रीगंगानगर को बेचान कर दिया, तो माल के लोडिंग, अनलोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेन्सीज से बचने के लिए माल इन्दौर से सीधे श्रीगंगानगर भिजवा दिया गया। चूँकि माल क्रेता के द्वारा श्रीगंगानगर में ही डिलेवर करना था, इसलिये सम्भवतः भूलवश डिलेवरी स्थान पर जयपुर के जगह श्रीगंगानगर अंकित हो गया, एवं वाहन सीधे श्रीगंगानगर जाने से जयपुर से जारी इन्वॉयस वाहन चालक/माल प्रभारी को नहीं दिये जा सके। इसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी की कही कोई करापवंचन की नियत नहीं थी। उन्होंने कथन किया कि **माननीय कर बोर्ड के निर्णय (2013) 262 टैक्स अपडेट 32 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी, जोधपुर बनाम मैसर्स महेन्द्र कुमार पुत्र गोपाललाल, जोधपुर** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिल–बिल्टी के आधार पर इन्दौर से जयपुर दवाईयॉ, आई.वी.फ्लूड का परिवहन किया जा रहा था। परन्तु वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान के अनुसार माल का परिवहन इन्दौर से श्रीगंगानगर के लिए किया जा रहा था। प्रस्तुत दस्तावेज इन्दौर से गन्तव्य स्थल जयपुर के है। वाहन चालक/माल प्रभारी के पास इन्दौर से श्रीगंगानगर को माल परिवहन के कोई दस्तावेज यथा इनवॉइस, चालान एवं बिल्टी नहीं पाई गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उल्लेखित माननीय कर बोर्ड के निर्णय (2013) 262 टैक्स अपडेट 32 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी, जोधपुर बनाम मैसर्स महेन्द्र कुमार पुत्र गोपाललाल, जोधपुर के तथ्य हस्तगत प्रकरण से

लगातार.....3

भिन्न है, क्योंकि इसमें अधिसूचित माल के लिए वैट–47 की आवश्यकता का प्रकरण था, अतः परिवहनित माल पर जो कर व शास्ति आरोपित की गई है, वह विधिसम्मत है।

7. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश में अंकित तथ्य तर्कसंगत पाये जाते है, एवं वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा सोद्देश्य इन्दौर से श्रीगंगानगर तक बिना दस्तावेजों के माल का परिवहन किये जाने से अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि प्रेषिति फर्म श्रीगंगानगर के नाम कोई बिल–बिल्टी या चालान नहीं पाया गया। चूंकि यह राज्य के बाहर से आयातित कर योग्य माल था, जो बिना वांछित दस्तावेजों के पाया गया, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण विधिक है। इस संबंध में **माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, सवाईमाधोपुर बनाम श्री कमरूद्दीन पुत्र श्री जुम्मा शाह निर्णय दिनांक 11.03.2016** में बिना दस्तावेजों के माल के परिवहन को अविधिक माना है। अतः इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया जाना उचित एवं विधिक प्रतीत होता है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य